किसी अपराध के आरोप को स्वीकार करना संस्वीकृति कहलाता है।

संस्वीकृति दो प्रकार की होती है

1. न्यायिक (न्यायालय में)
2. न्यायिकेतर(न्यायालय के बाहर)

कानून की अपेक्षा है कि संस्वीकृति स्वेच्छयापूर्वक होनी चाहिए।इसलिये धारा 24 बनाई गई।

धारा–24, के तत्व

अभियुक्त द्वारा की गई संस्वीकृति आपराधिक कार्यवाही में विसंगत (अमान्य) है यदि वहः–

1. उत्प्रेरणा (प्रलोभन),धमकी या वचन के द्वारा
2. किसी आरोप के बारे में
3. प्राधिकारवान व्यक्ति ने
4. दुनियावी (भौतिक) फायदा या हानि से बचने के लिये) के लिये की गई हो।

किन्तु प्रलोभन/धमकी/वचन का प्रभाव हट जाने पर धारा 28 में ऐसी संस्वीकृति सुसंगत(मान्य) होगी।

धारा–25, पुलिस अधिकारी से की गई ''संस्वीकृति'' किसी अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध साबित नही की जायेगी।

1. पुलिस अधिकारी का तात्पर्य–ऐसे किसी व्यक्ति से है जिसे पुलिस के कार्य, अधिकार मिले हों।

2. ऐसी संस्वीकृति चाहे अन्वेषण से पूर्व या पश्चात हो। जिस समय संस्वीकृति न्यायालय में सिद्ध की जा रही हो उस समय अभियुक्त होना चाहिए।

   (यू0पी0 बनाम देवमणि) A.I.R 1960 S.C 1125

<u>केवल संस्वीकृति अपवर्जित है।</u>

अर्थात किसी पुलिस अधिकारी के सामने किसी अभियुक्त द्वारा दिया गया बयान पूरा अपवर्जित नही होता। केवल बयान का वह भाग जो अपराध में अभियुक्त को संलिप्त(फॅसाये) करें।

([illegible])[illegible]IC 480

धारा 26– पुलिस की अभिरक्षा में होते हुये अभियुक्त द्वारा की गयी संस्वीकृति को उसके विरूद्ध साबित नही किया जा सकता। जब तक की मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मजिस्ट्रेट से न की गयी हो।

पुलिस हिरासत का तात्पर्य– पुलिस हिरासत या अभिरक्षा का महत्वपूर्ण लक्षण है कि अभियुक्त किसी स्थान से चलने फिरने के लिये स्वतन्त्र था या नही? यदि नही तो अभियुक्त पुलिस की अभिरक्षा में कहा जायेगा।

धारा 27–

1. पुलिस अभिरक्षा में किसी अपराध के अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना या बयान के फलस्वरूप किसी तथ्य का चला था (Discovered)

2. तब ऐसी सुचना या बयान में से

3. उतना जितना तदद्वारा पता चले हुए तथ्य से स्पष्टतया सम्बन्धित है,साबित की जा सकती है।

जैसे– हत्या के आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कह विवेचक से अपने जुर्म को इकबाल करते हुये बताया कि उसने मृतक की हत्या चाकू से की तथा हत्या के बाद चाकू तालाब में गाड़ दिया।

विवेचक उस अभियुक्त को विशेष तालाब पर कुछ स्वतन्त्र गवाहों के साथ ले जाता है एवं अभिुक्त के बताने पर उसी विशेष स्थान पर चाकू बरामद होता है जहॉ अभियुक्त ने बताया था।

उपरोक्त अभिुक्त के बयान का भाग ''मैने चाकू से हत्या की है'' संस्वीकृति पुलिस अभिरक्षा में पुलिस अधिकारी को किये जानें कारण विसंगत(अमान्य)है, तथा अभियुक्त द्वारा दी गयी सूचना के परिणामस्वरूप किसी तथ्य का पता चलता है (यहां चाकू)न्यायालय में सुसंगत(मान्य)है।